उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या- 1126/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.-264-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(326)-2024

लखनऊः दिनांकः 10-10-2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/11-9(47)/17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश- (06)-2017 दिनांक-30-06-2017, अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, -

7. अनुसूची I -2.5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद संख्याएं और उससे संबंधित प्रवृष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब";

(ख) अनुसूची II – 6%, में क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मितबिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स से भिन्न, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों)";

(ग) अनुसूची III – 9%, में, -

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" के स्थान पर, शब्द "एक्सट्रूज़न एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड" की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, रख दिये जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जाएंगी,

अर्थात्: -

"435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं,विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर यानों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा";

(घ) अनुसूची IV – 14%, में, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"210क	9401 20 00	मोटर यानों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें"।

2. यह अधिसूचना तारीख 10 अक्टूबर, 2024 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj (एम० देवराज)
प्रमुख सचिव
Date: 10-10-2024 21:40:16